भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या - 3339**

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसम्बर, 2014/21 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

**<u>कारपोरेट धोखाधड़ी को रोकने के लिए सतर्कता प्रणाली</u>**

**3339. श्रीमती ज्योति धुर्वे :**

**श्री कृपाल बालाजी तुमाने :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट क्षेत्र में वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को संज्ञान में लिया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सूचित संज्ञान में लिए गए ऐसे मामलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने संभावी कारपोरेट धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाने और रोकने के लिए 'शीघ्र चेतावनी तंत्र' नामक नई सतर्कता प्रणाली तैयार/लागू की है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रणाली को कब तक पूरी तरह प्रारंभ किए जाने की संभावना है; और

(च) क्या क्षेत्रीय निदेशालयों और कंपनी रजिस्ट्रार ने संभावी धोखाधड़ी कंपनियों की निगरानी हेतु पृथक प्रकोष्ठ भी निर्मित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं?

## उत्तर

**कारपोरेट कार्य मंत्री** **(श्री अरुण जेटली)**

**(क) और (ख) :** मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में 01.04.2014 से 30.11.2014 तक कथित कारपोरेट धोखाधड़ियों के लिए 167 कंपनियों के संबंध में जांच आदेश (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के माध्यम से) दिए हैं। 81 कंपनियों के संबंध में जांच रिपोर्ट मंत्रालय में प्राप्त

हो गई हैं। उक्त अवधि के दौरान गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को सौंपी गई जांचों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

| क्रम संख्या | राज्य का नाम | मामलों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | आन्ध्र प्रदेश | 1 |
| 2 | गुजरात | 1 |
| 3 | असम | 1 |
| 4 | भारत में पंजीकृत नहीं होने वाली कंपनियां | 1 |
| 5 | महाराष्ट्र | 4 |
| 6 | तमिलनाडु | 5 |
| 7 | उत्तर प्रदेश | 6 |
| 8 | दिल्ली | 66 |
| 9 | पश्चिम बंगाल | 82 |
| | योग | 167 |

**(ग) :** सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

**(घ) और (ड.) :** मंत्रालय संभावित धोखाधड़ी और अपराध के मामलों का पता लगाने के लिए चेतावनियां देने के उद्देश्य से पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडबल्यूएस) विकसित कर रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान एक प्रायोगिक परीक्षण किया गया। परीक्षण के परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है और इस प्रणाली में और सुधार अपेक्षित है। इस बीच, एसएफआईओ को एमसीए21 पोर्टल पर निवेशकों द्वारा दायर शिकायतों की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है, जिसके लिए प्राप्त शिकायतें एसएफआईओ के साथ ऑनलाइन साझा की जाएंगी। इससे "खतरों" या कंपनियों द्वारा संभावित धोखाधड़ियों की पूर्व चेतावनी की पहचान करने में मदद मिलेगी, जिसका बाद में विस्तृत निरीक्षण/जांच किया जा सकता है।

**(च) :** प्रादेशिक निदेशकों/कंपनी रजिस्ट्रारों ने कंपनियों के संभावित धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए अलग से प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया है। तथापि, सरकार ने कारपोरेट धोखाधड़ियों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए निम्नलिखित सहित कई उपाय किए हैं;

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत 'धोखाधड़ी' को मूल अपराध बनाया गया है।
(ii) उक्त अधिनियम के अधीन गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को सांविधिक स्तर प्रदान किया गया है।
(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कारपोरेट शासन और उनके कार्यान्वयन के अधिक कठोर मानक रखे गए हैं।

(iv) प्रत्येक वर्तमान और भावी निदेशक के लिए "निदेशक पहचान संख्या" (डीआईएऩ) प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के विवरणों का फोटोग्राफ, पहचान प्रमाण, आवास प्रमाण आदि सहित, विस्तृत सत्यापन अपेक्षित है ताकि निदेशकों का पता सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार, डीआईएऩ की अनिवार्यता से संदिग्ध कंपनियां शुरू करने वाले व्यक्तियों के लिए अपनी पहचान छुपाकर या गलत बताकर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करना कठिन होता है।

(v) मंत्रालय ने किसी नई कंपनी के निगमन अथवा किसी वर्तमान कंपनी के पते में परिवर्तन की स्थिति में व्यावसायिकों के लिए कंपनी के ब्यौरों का सत्यापन करना और उनके परिसरों का व्यक्तिगत रूप से दौरा करना तथा यह प्रमाणित करना अनिवार्य कर दिया है कि यह परिसर कंपनी के पास है। ऐसे मामलों में निगमन के समय या पंजीकृत कार्यालय के पते के समय पंजीकृत पते के प्रमाण अनिवार्य कर दिया है।

(vi) कंपनी रजिस्ट्रारों को भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे पब्लिक ईश्यू के माध्यम से धन उगाही करने वाली कंपनी के तुलन पत्र और अन्य अभिलेखों की जांच करें और ऐसी नि़धि के उपयोग की निगरानी करें।

(vii) मंत्रालय ने निवेशक जागरूकता कार्यक्रमो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सक्रिय उपाय किए हैं। ये कार्यक्रम तीन व्यावसायिक संस्थानों - भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) - के सहयोग के विभिन्न शहरों में नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। 2012-13 से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक निकाय सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना शुरू किया है। वर्ष 2013-2014 के दौरान ऐसे 2897 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

*****